आवश्यक

संख्या: 65/2020/2269/12-2-2020-60(51)/2018 टी0सी0-2

प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबंध निदेशक,
उत्तर प्रदेश राज्य कृषि एवं औद्योगिक निगम (यू0पी0एग्रो),
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 09 दिसम्बर, **2020**

विषय: खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत धान क्रय हेतु कृषि विभाग के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश राज्य कृषि एवं औद्योगिक निगम (यू0पी0एग्रो) को राष्ट्रीयकृत बैंक से अल्पकालिक ऋण लिए जाने की शासकीय गारन्टी की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को सम्बोधित अपने पत्र संख्या: 610/25-9-धान/18/2020-21 दिनांक 26 नवम्बर, **2020** का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा धान खरीद योजना वर्ष 2020-21 के अन्तर्गत रूपये 50.00 करोड़ की धनराशि उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. उल्लेखनीय है कि खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में धान खरीफ हेतु शासनादेश दिनांक 01 अक्टूबर, 2020 द्वारा यू0पी0स्टेट एग्रो इण्ड्रस्ट्रियल कारपोरेशन लि0 को क्रय एजेन्सी नामित किया गया है। धान क्रय नीति दिनांक 23 सितम्बर, 2020 के प्रस्तर 22.1 में यह व्यवस्था है कि खाद्य विभाग की विपणन शाखा एवं राज्य सरकार की अन्य संस्थाओं को धान क्रय के लिए कार्यशील पूंजी की व्यवस्था वित्त विभाग द्वारा प्रदत्त अभिमत के क्रम में राष्ट्रीकृत बैंकों से ऋण लेकर की जायेगी।

3. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान खरीफ सत्र में राज्य सरकार से ऋण प्राप्त होने की व्यवस्था नहीं हो सकी है जिसके कारण यू0पी0एग्रो को धान क्रय के लिए आवश्यक कार्यशील पूंजी आवश्यकता के अनुरूप नहीं मिल रही है। यू0पी0स्टेट एग्रो की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वह धान क्रय के लिए अपने स्रोतों से यह व्यवस्था कर पाये। उत्तर प्रदेश राज्य कृषि एवं औद्योगिक निगम (यू0पी0एग्रो) को धान खरीद का भुगतान किसानों को किए जाने हेतु धनराशि की आवश्यकता है।

4. अत: सम्यक विचारोपरान्त अपरिहार्य परिस्थितियों के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश राज्य कृषि एवं औद्योगिक निगम (यू0पी0एग्रो) को राष्ट्रीयकृत बैंक से रूपये 50.00 करोड़ (रूपये पचास करोड़ मात्र) का अल्पकालिक ऋण लिए जाने हेतु निम्नलिखित शर्तो के अधीन शासकीय गारन्टी स्वीकृत की जाती है:-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(i) खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में धान क्रय हेतु उत्तर प्रदेश राज्य कृषि एंव औद्योगिक निगम (यू0पी0 स्टेट एग्रो) द्वारा भारतीय स्टेट बैंक/राष्ट्रीयकृत बैंक से रूपये 50.00 करोड़ की अधिकतम सीमा के अन्तर्गत अल्पकालिक ऋण प्राप्त किया जायेगा।

(ii) भारतीय खाद्य निगम से प्राप्त ब्याज की धनराशि को उपरोक्त ऋण पर देय ब्याज में से समायोजित करते हुए ब्याज की शेष धनराशि निगम को उपलब्ध कराया जायेगा।

(iii) जिस बैंक से यू0 पी0 स्टेट एग्रो द्वारा ऋण लिया जायेगा, उसके पक्ष में निगम द्वारा एस्क्रो खाता खोला जायेगा तथा भारतीय खाद्य निगम को धान का विक्रय करने से प्राप्त धनराशि उक्त एस्क्रो खाते में जमा की जायेगी। एस्क्रो खाते में जमा धनराशि से ऋण की अदायगी समय से सुनिश्चित की जायेगी।

(iv) चूंकि विचाराधीन ऋण का प्रयोग यू0 पी0 स्टेट एग्रो द्वारा वाणिज्यिक क्रिया-कलापों के लिए नहीं किया जाना है, अत: शासकीय गारन्टी पर गारन्टी शुल्क आरोपित नहीं किया जायेगा।

(v) प्राप्त की जाने वाली ऋण की धनराशि का उपयोग मात्र धान क्रय हेतु ही किया जायेगा।

5. कृपया उक्त से अवगत होते हुए अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

( डा0 देवेश चतुर्वेदी )
अपर मुख्य सचिव।

संख्या: 65/2020/2269/12-2-2020 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4

आज्ञा से,

( अनिल ढींगरा )
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।